BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 07 फरवरी 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट के 02 आरोपियों को क्रमशः 01 वर्ष 06 माह व 03 वर्ष 08 माह का कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त भोलू उर्फ जितेन्द्र पुत्र कालू व कालू पुत्र जीत सिंह निवासीगण ग्राम जलालपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2012 में 04 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा एक सैल्समैन से 11,71,970 रुपये लूट कर ले जाने जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 02-05-2012 को थाना डिबाई पर मुअसं- 213/12 धारा- 392/411 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 07.11.2012 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 02 गवाह परिक्षित हुआ जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 07.02.2024 को मा0 न्यायाल एसीजेएम-अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भोलू उर्फ जितेन्द्र व कालू को क्रमशः 01वर्ष 06 माह व 03 वर्ष 08 माह का कारावास व 05-05 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सूरज कुमार यादव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त फुरकान का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 252/12 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 213/12 धारा 392/411 भादवि थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सेल बुलन्दशहर।